

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 24/2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/913 दिनांक 15.09.2020 द्वारा ग्राम धनकपुर पटवार हल्का बैमाली तहसील करेड़ा की आराजी नम्बर 1508 रकबा 122.14 बीघा किस्म चारागाह में से 2.03 बीघा में मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है जो ग्राम धनकपुर को बैमाली व लादूवास ग्रामों से जोड़ती है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त पक्की सड़क का अंकन नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2073 से 2076 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का प्रस्तुत किये। पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त सड़क चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त पक्की सड़क को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित पत्रादि प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली आदेश दिनांक 19.10.2020 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	
19.10.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम धनकपुर पटवार हल्का बैमाली तहसील करेड़ा की आराजी नम्बर 1508 रकबा 122.14 बीघा किस्म चारागाह में से 2.03 बीघा में मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है जो जो ग्राम धनकपुर को बैमाली व लादूवास ग्रामों से जोड़ती है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त पक्की सड़क का अंकन नहीं है। उक्त रास्ता के रकबा 2.03 बीघा को चारागाह के कुल रकबे में रखते हुए मौके पर चालू पक्की सड़क का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में डोट-डोट के रूप में करे एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	